"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 सितम्बर 2009—आश्विन 7, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2009

क्रमांक 6718/171/21-अ/प्रा./छ. ग./09.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-09-2009 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 9 सन् 2009)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2009

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2009 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 17 का संशोधन.

2\. (1) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) (जो इसमें इस के पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (एन) का लोप किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड (सी सी) का लोप किया जाये.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2009

क्रमांक 6718/171/21-अ/प्रा./छ. ग./09.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 9 of 2009)

THE CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (SANSHODHAN) ACT, 2009

An Act to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Sanshodhan) Act, 2009.

(2) It extends to the whole of State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 17.

2. (1) Clause (m) of sub-section (1) of Section 17 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall be omitted.

(2) Clause (cc) of sub-section (2) of Section 17 of the Principal Act shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.